GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO -1725
ANSWERED ON - 16/03/2022

SCHEMES FOR THE WELFARE OF SENIOR CITIZENS

1725. SMT. SHANTA CHHETRI

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) the various schemes for the welfare of senior citizens;

(b) whether Government is aware that a huge section of the elderly is deprived of love, care, medical, housing, etc and that the need for senior citizens old age home schemes and a life of dignity for the elderly is a growing need as more and more children are not taking care of their aging parents; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)

(a) to (c) The Government of India is implementing various schemes and programmes to provide healthy, happy empowered dignified and self-reliant life to senior citizens, alongwith strong social and inter-generational bonding.

Government is aware about the need of love, care, medical, housing, etc. of the senior citizens. For this purpose, various schemes/ programmes are being implemented by the Government for welfare of senior citizens. The details of these Schemes/ Programmes are at **Annexure-I.**

***

https://www.staffnews.in

ANNEXURE

[Reply to Parts (a) to (c) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 1725 for 16.03.2022 regarding 'Schemes for the welfare of senior citizens' raised by Hon'ble M.P., Smt. Shanta Chhetri]

Details of Schemes and Programmes being implemented by Government of India in Care of Senior Citizens Sector:

Department of Social Justice and Empowerment: Atal Vayo Abhyudaya Yojana (AVYAY):

AVYAY brings together articulation of each of the current schemes, future plans, strategies and targets and maps it with schemes/programmes, accountabilities, financials and clear outcomes. This Plan takes care of the top four needs of the senior citizens viz financial security, food, health care and human interaction /life of dignity. It also includes the facets of safety/protection and general wellbeing of the elderly beginning from awareness generation and sensitization of the society.

2. AVYAY is an umbrella scheme, effective since 1st April 2021, has following schemes under it, namely:

- **Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC):** Setting up of Homes to improve the quality of life of the Senior Citizens, especially indigent senior citizens by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities and by encouraging productive and active ageing.

- **State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC):** The Government of India perceives a major and critical role of all State Governments in partnering and implementing this Action Plan for welfare of senior citizens. Each State/UT is expected to plan and strategize taking into account their local considerations and frame their own State Action Plans for the welfare of their senior citizens.

- **Rashtriya Vayoshri Yojana' (RVY):** A scheme for providing physical Aids and Assisted living devices to Senior Citizens.

- **Livelihood and Skilling Initiatives for Senior Citizens** - Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity (SACRED); Action Groups Aimed at Social Reconstruction (AGRASR Groups):Elderly Self Help groups

- **Promoting silver economy**

- **Channelizing CSR funds for Elderly care**

- **Scheme for Awareness Generation and Capacity Building for welfare of Senior Citizens** – Training, Awareness, Sensitization, Setting up of National Helpline for Senior Citizens.

3. Under the Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC), grants upto 100% of project cost are given for running and maintenance the following projects:-

(i) Senior Citizens' Homes for 25 destitute Senior Citizens to provide food, care and shelter.

https://www.staffnews.in

(ii) Senior Citizens' Homes for 50 Elderly Women including those under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) to provide food, care and shelter.

(iii) Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia for a minimum of 20 Senior Citizens who are seriously ill requiring continuous nursing care and respite or those who are afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia.

(iv) Mobile Medicare Units to provide medical care to the Senior Citizens living in rural, isolated and backward areas.

(v) Physiotherapy Clinics for Senior Citizens for a minimum of 50 Senior Citizens per month.

(vi) Regional Resource and Training Centres (RRTCs) monitors and provides technical support, advocacy, networking, training and capacity building for effective delivery of service by the Centres for Senior Citizens, funded by the Ministry.

4. Under the Scheme, assistance is sanctioned to the following agencies subject to the terms and conditions laid down by this Ministry:-

- Priority to be given to the State Governments / UT Administrations for supporting the projects under the Scheme of IPSrC through Registered Societies/ Panchayati Raj Institutions (PRIs) / Local bodies, in the vicinity of Hospitals, as far as possible;
- Non-Governmental/Voluntary Organizations;
- Institutions or Organizations set up by Government as autonomous/ subordinate bodies;
- Government Recognized Educational Institutions, Charitable Hospitals/ Nursing Homes, and recognized youth organizations such as Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS)

5. Under State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC), the Government of India perceives a major and critical role of all State Governments in partnering and implementing the Action Plan for welfare of senior citizens. Appreciating the critical and significant role of States/UTs, each State/UT is expected to plan and strategize taking into account their local considerations and frame their own State Action Plans for the welfare of their senior citizens. This State Action Plan may comprise a long-term strategy for five years as well as Annual Action Plans and this Department shall release funds to the States/UTs for formulation and implementation of their State Action Plans.

6. **Livelihood and Skilling Initiatives for Senior Citizens**- A new scheme with following two components:-

(i) Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity (SACRED)- Many senior citizens have experience, time and energy which can be used by the business enterprises looking for stable employees with experience. The Human resources cells of many private enterprises seek experienced but stable persons in certain positions. The portal allows bringing these people together by virtual matching of preferences. The portal has been launched by the Vice President of India on International Day on Older Persons (IDOP), 2021 i.e. on 01/10/2021.

(ii) Action Groups Aimed at Social Reconstruction (AGRASR Groups): Elderly Self Help groups - The Senior Citizens are encouraged to form Self-Help Groups (SHGs), which will provide them with a platform to share the time constructively with each other. To attain financial assistance under the scheme SHGs will function as 'Action Groups Aimed at Social Reconstruction (AGRASR Groups)'. Assistance under this Scheme to any SHG will be independent of assistance under any other scheme of the Ministry and an SHG can choose to avail assistance under any one or more Scheme(s).

7. **Promoting Silver Economy** – This is also a new scheme launched with an objective to encourage the entrepreneurs for to think about the problems of the elderly and come out with

https://www.staffnews.in

innovative solutions The Government aims to achieve the objective by providing upto Rs. 1 crore as financial assistance through equity participation, through an open invitation on a portal namely Seniorcare Ageing Growth Engine (SAGE).

8. **Channelizing CSR funds for Elderly care-** This is also a new scheme with an objective to channelize the CSR funds in an appropriate manner for elderly care projects. Under Schedule VII of Section 135 of the Companies Act, setting up old age homes, day care centres and such facilities for Senior Citizens is an approved item for CSR funding.

9. **Scheme for Awareness Generation and Capacity Building for welfare of Senior Citizens-** Components like the National Helpline for Senior Citizens, Research, awareness, sensitization etc. for the welfare of senior citizens, spreading awareness and sensitizing the youth and other sections of the society towards the issues related to the elderly. The National Helpline – Elderline with toll free number 14567 has been dedicated to the country by the Vice President of India on International Day on Older Persons (IDOP), 2021 i.e. on 01/10/2021.

10. **Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY): Scheme for providing Physical Aids and Assisted-Living Devices for Senior Citizens**

The Scheme of Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) has been formulated by Ministry of Social Justice and Empowerment with an objective to provide aids and assisted living devices viz. walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures and spectacles, free of cost to senior citizens belonging to BPL category who suffer from age related disabilities/infirmities such as low vision, hearing impairment, loss of teeth and loco-motor disabilities. The Scheme has been revised w.e.f. F.Y. 2020-21. Under the revised Scheme, the criteria of selection of beneficiaries have been extended to include not only those senior citizens belonging to BPL category but also senior citizens with monthly income not more than Rs. 15000/- and who suffer from age related disabilities/infirmities as mentioned above.

Under the revised Scheme of RVY, the number of devices hitherto provided has been increased. At present, following are the items that have been included for distribution:

(a) Generic Items: (1)Walking sticks (2) Elbow crutches (3) Walkers/Crutches, (4) Tripods/Quadpods (5) Hearing Aids (6) Artificial Dentures, and (7) Spectacles.

(b) Special Items: (1) Wheelchairs, (2) Wheel Chairs with Commode, (3) Chair/Stool with Commode, (4) Silicon Foam Cushion, (5) Knee Brace, (6) Spinal Support, (7) Cervical Collar, (8) Lumbosacral Belt (LS), (9) Walker/Roalator with Brakes, (10) Walking Stick with Seat,

(11) Foot Care Kit:- (i) Flexi Gel Socks, (ii) Socks Cusion Sandal, (iii) Silicon Insole (Complete Foot/Ankle) and (iv) Insole with Pressure Point Relief.

<u>Schemes, Programmes, Concession and Benefits provided by other Ministries/Department in Care of Senior Citizens:</u>

1. **<u>Ministry of Rural Development:</u>**

National Social Assistance Programme (NSAP): Under National Social Assistance Program (NSAP) scheme, the elderly, widows, and disabled persons belonging to Below Poverty Line (BPL) and fulfilling eligibility criteria prescribed in the NSAP guidelines, are provided financial assistance ranging from Rs.200/- to Rs.500/- p.m. and in the case of death of the

https://www.staffnews.in

breadwinner, a lumpsum assistance of Rs.20,000/- is given to the bereaved family. The schemes under NSAP for elderly and divyangs are detailed below:

a. **Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS):** A monthly pension of Rs.200/- is given to elderly aged 60-79 years belonging to BPL category. The pension increases to Rs.500/-per month upon attaining the age of 80 years. The total beneficiaries under the scheme are 221 lakh.

b. **Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS):** A monthly pension of Rs.300/- is given to BPL persons aged 18-79 years with severe and multiple disabilities (80% disability level). The pension increases to Rs.500/- per month upon attaining the age of 80 years. The total beneficiaries under the scheme are 10.58 lakh.

2. Ministry of Health and Family Welfare:

"National Programme for the Health Care of Elderly" (NPHCE) launched during 2010-11 is State oriented program with the basic thrust to provide comprehensive and dedicated health care facilities to the elderly persons above 60 year of age at various level of primary, secondary and tertiary health care.

I. **Primary & Secondary Geriatric Care Services** : The program commenced with 100 districts in the 11th plan period. In the 12th plan period 421 districts and in 2019-2020, 114 districts were additionally sanctioned to provide dedicated geriatric OPD, IPD, Physiotherapy and lab services. Presently all 713 Health districts have been sanctioned for geriatric primary & secondary care services of OPD, 10 bedded Geriatric Ward, Physiotherapy and laboratory services.

II. **Tertiary level activities of NPHCE** : Renamed as **'RashtriyaVaristh Jan Swasthya Yojana'** in **2016-17.** As on date, 19 Regional Geriatric Centres (RGCs) in selected Medical Colleges of 18 States, are sanctioned for tertiary care service delivery under NPHCE in the form of specialized OPD's, 30 bedded wards in RGC including earmarking beds in various specialties like urology, orthopedics, ophthalmology etc, manpower development & research activities. Presently OPD services are being provided through 18 RGCs, inpatient services in 16 RGC's, Physiotherapy in 14 centers & laboratory services in 13 centers.

Two National Centre for Ageing (NCA) has also been developed as centre of Excellence for Geriatric Care services. 200 bedded NCA at Madras Medical College, Chennai has been developed and operational for Covid ward and another NCA at AIIMS, New Delhi is in advance state of Construction.OPD services are expected to initiate by October 2021. A 250 Bedded Geriatric Care and Rehabilitation Centre is sanctioned at PGI chandigarh.

Progress in Operationalization of the Programme activities 2020-21

(As per Progress Report- April to December, 2020)

S. No	Institutions	Sanctioned	Operational				
			OPD	Indoor wards	Physiotherapy services	Laboratory services
1	RGCs	19	*18*	*16*	*14*	*13*
2	District hospitals	718	*584*	*507*	*445*	*539*
3	CHCs	4869	*3111*	-	1131	*2408*
4	PHCs	18407	*10180*	-	-	-
5	SCs providing home based care &supportive appliances	90719	*14201*			

https://www.staffnews.in

Daily Geriatric OPD services are being provided in 584 DH, 3111 CHCs and 10180 PHCs along with special OPDs in 18 RGCs. Inpatient services are being provided in 507 DH, along with 16 RGCs. Physiotherapy services are being provided in 445 DH, 1131 CHCs along with 14 RGCs. Laboratory services are being provided in 539 DHs, 2408 CHCs, along with 13 RGCs.

- **Geriatric care service provision in 2019-20**

(As per Annual Progress Report- April 2019- March 2020)

Sr. No.	Services	RGCs	Distt.Hospitals	CHCs	PHCs	SCs	Total
1	OPD care services	133545	7567744	7016670	9032922	2843211	**2,65,94,092**
2	In-door admissions	9992	688966	269286			**9,68,244**
3	Physiotherapy care	34637	754186	744964			**15,33,787**
4	Lab Tests	230749	4215883	2348922	2275600		**90,71,154**
5	No of Elderly Screened & givenHealth card		599908	719021	526754	273850	**21,19,533**
6	No of Elderly Provided Home care services		11157	92657	68674	68783	**2,41,271**
7	No of Elderly provided supportive devices		4820	18006	7256	17502	**47,584**
8	Cases referred		32017	59202	65057	64119	**2,20,395**
9	Cases died in hospitals		17026	2156	384		**19,566**

Overall 265 lakhs elderly have been provided OPD, 9.68 lakhs Indoor admissions, 15.33 lakhs Rehabilitation and 90.71 lakhs Leb. services respectively by all the operational District Hospitals and below.

V. **Training Modules:** Three sets of Training modules for Medical Officers, Nurses and Community based workers to deliver Comprehensive Geriatric care has been developed. State level Training of Trainers of Medical Officers for Comprehensive Geriatric Care has been conducted at Chhattisgarh, Meghalaya, Haryana, Punjab Tamil Nadu & Maharashtra generating approx *236 States level Master Trainers and* 85 *National Master Trainers:* 27 for Medical Officer Module, 26 for Staff Nurses Module and 32 for module developed to train Community based workers.

VI. **NPHCE Website:** - An interactive and dynamic website cum MIS of the NPHCE program has been initiated through Center for Health Informatics (CHI) to provide comprehensive information along with data regarding Geriatric facilities and services available through-out the country. **www.nphce.nhp.gov.in**

VII. **IEC:** Audio/Video spots on different topics of elder care, print material-folder, posters etc. have been developed. The regional language version of IEC material is being developed. https://nphce.nhp.gov.in/video-spot/

3. MINISTRY OF FINANCE:

Atal Pension Yojana (APY): The Atal Pension Yojana (APY) is a Government of India Scheme which was launched on 9th May, 2015, with the objective of creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganized sector. The scheme become operational w.e.f. 1st June, 2015, and is being

https://www.staffnews.in

administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). It is open to all citizens of India between 18-40 years of age having bank account in a bank or post-office. There are five pension plan slabs available under the scheme namely, Rs. 1000, Rs. 2000, Rs. 3000, Rs. 4000, and Rs. 5000 guaranteed by Government of India to the subscriber at the age of 60 years. On death of subscriber, same pension to spouse is guaranteed by Government of India. Further, APY is a pan India scheme open to all citizen of the country and not catering to any specific group.

4. **MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS:**

Ministry of Housing and Urban Affairs, Department of Urban Development has issued the Model Building Bye Laws, 2016 (MBBL) prescribing standards for creation of elder friendly barrier free environment with reference to buildings, toilets etc. Urban Local Bodies shall implement the Policy by adopting the Model Building Bye Laws, 2016. Further, under Urban Bus Specification-II issued in 2013, the emphasis on buses financed by the Department of Urban Development is on procurement of **low floor buses** with proper ramps for easy access of the passengers and **proper space for wheelchair** to be placed in the bus for the benefit of disabled persons and senior citizens. All metro rail projects implemented/under implementation in the country are having disabled and elder friendly infrastructure such as **proper ramps/lifts to the stations.** There is a provision for reservation of seats in metro rail coaches for differently-abled persons and senior citizens. Further, Housing for All Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines have been circulated to State/UTs to meet the demand of housing in their States/UTs, which interalia incorporates that 'while making the allotment, families with senior citizens should be given **priority for allotment on ground floor or lower floors'**.

Ministry of Housing & Urban Affairs is implementing the Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) with the aim to reduce poverty and vulnerability of urban poor households on sustainable basis. The Mission, inter-alia, aims at providing permanent shelter equipped with essential services to the urban homeless in a phased manner under the component of Shelters for Urban Homeless, irrespective of age.

***

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1725

उत्तर देने की तारीख: 16.03.2022

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं

1725. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुजुर्गों का एक बड़ा वर्ग प्यार, देखभाल, चिकित्सा, आवास आदि से वंचित है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम योजनाओं और बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन एक बढ़ती आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत सामाजिक और अंतर-पीढ़ीय संबंधों के साथ-साथ स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति स्नेह, देखभाल, चिकित्सा, आवास आदि की आवश्यकता के बारे में जागरूक है। सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

https://www.staffnews.in

अनुबंध

"वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती शांता क्षत्री द्वारा दिनांक 16.03.2022 को राज्य सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1725 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र की देख-रेख हेतु कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों का विवरण</u>

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग :अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)</u>

एवीवाईएवाई प्रत्येक वर्तमान स्कीम, भावी स्कीमों, कार्यनीतियों और लक्ष्यों को एक साथ जोड़ती है तथा इसका स्कीमों/कार्यक्रमों, देयताओं, वित्तीय तथा स्पष्ट परिणामों के साथ एक खाका तैयार करती है। इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों की सबसे अधिक चार शीर्ष आवश्यकताओं अर्थात् वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय संबंधों/सम्मानित जीवन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें जागरुकता सृजन और समाज के सुग्राहीकरण से लेकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा/संरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी सामान्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

2. एवीवाईएवाई एक अम्ब्रेला स्कीम है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमें आती हैं:-

- **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी):** वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, को बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करके तथा उनकी उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।
- **राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य स्कीम (एसएपीआरसी):** भारत सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इस कार्य योजना को साझा करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख और उल्लेखनीय भूमिका की सराहना करते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करे तथा अपनी राज्य कार्य योजना तैयार करे।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):** वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने की स्कीम।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल विकास संबंधी पहलें:** योग्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक पुन: रोजगार (एसएसीआरईडी); सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए लक्षित कार्य समूह (एजीआरएएसआर समूह): वरिष्ठ नागरिकों के स्व-सहायता समूह
- **रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना**
- **वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सीएसआर निधियों को चैनलीकृत करना**
- **वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण की स्कीम** - प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन, सुग्राहीकरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना

https://www.staffnews.in

3. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं को संचालित करने और उनके रखरखाव के लिए परियोजनाओं की लागत का 100% अनुदान प्रदान किया जाता है:-

(i) कम से कम 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भोजन, देखभाल और आवास प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह।

(ii) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत शामिल गृहों सहित 50 बुजुर्ग महिलाओं के लिए भोजन, देखभाल और आवास प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह।

(iii) गंभीर रूप से बीमार कम से कम 20 वरिष्ठ नागरिक और जो अल्जाइमर रोग/डिमेंशिया से पीड़ितों जिन्हें निरंतर नर्सिंग देखभाल और राहत की आवश्यकता है, के लिए वरिष्ठ नागरिक सतत देखभाल गृह और गृह।

(iv) ग्रामीण, दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडीकेयर यूनिट।

(v) प्रतिमाह न्यूनतम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए फीजियोथेरेपी क्लीनिक।

(vi) मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी)वरिष्ठ नागरिक केन्द्रों द्वारा सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी हेतु तकनीकी सहायता, एडवोकेसी, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की निगरानी और व्यवस्था करते हैं।

4. इस मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता स्वीकृत की जाएगी:-

- पंजीकृत सोसाइटियों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/स्थानीय निकायों के माध्यम से आईपीएसआरसी स्कीम के अंतर्गत, यथा-संभव अस्पतालों के परिसरों में, परियोजनाओं को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी;
- गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठन;
- सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन;
- सरकारी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसे मान्यता प्राप्त युवा संगठन

5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के अंतर्गत भारत सरकार के साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इस कार्य योजना को साझा करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख और उल्लेखनीय भूमिका की सराहना करते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्कीम बनाए और उस पर कार्रवाई करे तथा अपने राज्य की कार्य योजना तैयार करे। इस राज्य कार्यवाई योजना में पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक कार्य नीति के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी राज्य कार्य योजनाएं तैयार कर उनके कार्यान्वयन के लिए यह विभाग उन्हें निधियां जारी करेगा।

https://www.staffnews.in

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल विकास संबंधी पहलें: एक नई स्कीम जिसके निम्नलिखित दो घटक हैं:**

(i) **योग्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक पुनः रोजगार (एसएसीआरईडी)** - कई वरिष्ठ नागरिकों के पास अनुभव, समय और ऊर्जा होती है जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्यमों द्वारा अनुभव के साथ स्थायी कर्मचारियों की तलाश में किया जा सकता है। कई निजी उद्यमों के मानव संसाधन सेल कुछ पदों पर अनुभवी लेकिन स्थायी व्यक्तियों की तलाश करते हैं। यह पोर्टल इन लोगों की प्राथमिकताओं के आभासी तालमेल से एक साथ जुड़ने में सहायता करता है। भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 01.10.2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी), 2021 के अवसर पर किया गया है।

(ii) **समाज पुनर्निर्माण के उद्देश्यार्थ कार्यवाई समूह (एजीआरएएसआर): वृद्धजन स्व-सहायता समूह** - वरिष्ठ नागरिकों को स्व-सहायता समूह (एसजीएच) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उन्हें एक-दूसरे के साथ रचनात्मक रूप से समय साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एसएचजी 'समाज पुनर्निर्माण के उद्देश्यार्थ कार्यवाई समूह (एजीआरएएसआर समूह)' के रूप में कार्य करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी एसएचजी को सहायता मंत्रालय की किसी अन्य स्कीम से अलग होगी और एक एसएचजी किसी एक अथवा अधिक स्कीम के अंतर्गत सहायता का चुनाव कर सकता है।

7. **रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना** - यह एक नई स्कीम भी है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और अभिनव समाधान निकालना है। सरकार का उद्देश्य सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) नामक पोर्टल पर खुले निमंत्रण के माध्यम से इक्विटी भागीदारी द्वारा 01 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके लक्ष्य को प्राप्त करना है।

8. **बुजुर्गों की देखभाल के लिए सीएसआर निधियों को चैनलाइजिंग करनाः-** यह भी एक नई स्कीम है जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल संबंधी परियोजनाओं के लिए उचित तरीके से सीएसआर निधियों को चैनलाइज (उपयोग) करना है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII के तहत वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी ही सुविधाएं स्थापित करना सीएसआर निधिकरण हेतु एक स्वीकृत मद है।

9. **वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण स्कीमः-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनुसंधान, जागरूकता, संवेदीकरण आदि, बुजुर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं और समाज के अन्य वर्गों को संवेदनशील बनाना। राष्ट्रीय हेल्पलाइन - एलडरलाइन जिसका टोल फ्री नंबर 14567 है, का भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी), 2021 के अवसर पर देश को लोकापर्ण किया गया है।

10. **राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम (आरवीवाई) : शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए स्कीम**

https://www.staffnews.in

राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम (आरवीवाई) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। यह स्कीम शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण जैसे वाकिंग स्टिक, एल्बो क्रेचेज, वाकर्स/क्रेचेज, ट्रायपॉड/क्वाडपॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत और चश्मे बीपीएल श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई थी जो नजर की कमजोरी, कम सुनाई देना, दांत, झड़ना और चलने-फिरने में कठिनाई होना जैसी निर्योग्ताओं/अक्षमताओं से जूझ रहे हैं। यह स्कीम वित्तीय वर्ष 2020-21 से संशोधित की गई है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थियों के चयन का मानदंड न केवल बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ लोगों पर लागू किया गया है बल्कि उन वरिष्ठ नागरिकों पर भी किया गया है जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपए से अधिक नहीं है और जो उपर्युक्त आयु-जन्य निर्योग्यताओं/कमजोरी से पीड़ित हैं।

संशोधित आरवीवाई स्कीम के अंतर्गत अब तक प्रदत्त यंत्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस समय निम्नलिखित मदों को वितरण के लिए शामिल किया गया है :-

(क) जेनेरिक मदें:

(1) वाकिंग स्टिक
(2) एल्बो क्रेचेज
(3) वॉकर्स/क्रेचेज,
(4) ट्राईपॉड/क्वाडपॉड
(5) श्रवण यंत्र
(6) कृत्रिम दांत और
(7) चश्मे।

(ख) विशेष मदें:

(1) व्हीलचेयर,
(2) व्हीलचेयर और कमबोड,
(3) कमबोड सहित चेयर/स्टूल,
(4) सिलिकॉन फोम कूशन,
(5) नी-ब्रस,
(6) स्पाइनल सपोर्ट,
(7) सर्वाइकल कॉलर,
(8) लुंबोसक्रसल बेल्ट (एलएस),
(9) वॉकर/सब्रेकरोलेटर,
(10) सीट सहित वॉकिंग स्टिक,
(11) फुट केयर किट:- (i) फ्लेक्सी जेल सॉक्स, (ii) सॉक्स कुजन सैंडल, (iii) सिलिकन इंसोल और (iv) प्रेशर प्वाइंट रिलीफ सहित इंसोल।

<u>वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगजनों/पिछड़ा वर्गों की देखभाल के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों की स्कीमें, कार्यक्रम, रियायत और लाभ</u>

https://www.staffnews.in

1. <u>ग्रामीण विकास मंत्रालय</u>

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) स्कीम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों और एनएसएपी के दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को 200/- रुपये से लेकर 500/- रुपये प्रतिमाह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथा कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एनएसएपी के तहत योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओपीएस):** बीपीएल श्रेणी से संबंधित 60-79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को 200/- रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन 500/- रुपये प्रति माह हो जाती है। इस स्कीम के तहत कुल लाभार्थी 221 लाख हैं।

ख. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम(आईजीएनडीपीएस):** गंभीर और बहु-दिव्यांगता (80% दिव्यांगता स्तर) वाले 18-79 वर्ष की आयु के बीपीएल व्यक्तियों को 300/- रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन 500/- रुपये प्रति माह हो जाती है। इस स्कीम के तहत कुल लाभार्थी 10.58 लाख हैं।

2. <u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय:</u>

"राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया राज्योन्मुखी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

I. <u>प्राथमिक और द्वितीयक जरा-चिकित्सा सेवाएं</u>: यह कार्यक्रम 11वीं योजना अवधि में 100 जिलों में शुरू किया गया था। 12वीं योजना अवधि में इसे 421 जिलों में शुरू किया गया था और वर्ष 2019-20 में 114 जिलों में समर्पित जरा-चिकित्सा ओपीडी, आईपीडी, फीजियोथेरेपी और प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्तमान में, सभी 713 स्वास्थ्य जिलों के लिए ओपीडी की जरा-चिकित्सा प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सेवाएं, 10 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड, फीजियोथेरेपी और प्रयोगशालाओं सेवाओं को मंजूरी प्रदान की गई हैं।

II. <u>एनपीएचसीई के तृतीयक स्तर के कार्यकलाप</u>: इस योजना का नाम वर्ष 2016-17 में बदलकर **"राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना"**किया गया तथा अभी तक 18 राज्यों के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में 19 क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केन्द्रों को विशेषज्ञ ओपीडी के रूप में एनपीएचसीई के अंतर्गत तृतीयक देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए, विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं जैसे यूरोलोजी, आर्थोपेडिक, नेत्रविज्ञानआदि के लिए बिस्तरों को निर्धारित करने सहित आरजीसी में 30 बिस्तर वाला बेड, जन शक्ति विकास और अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप मंजूर किए गए हैं। वर्तमान में 18 आरजीसी के

https://www.staffnews.in

माध्यम से ओपीडी सेवाएं, 16 आरजीसी में अंतरंग रोगी सेवाएं, 14 आरजीसी केन्द्रों में फीजियोथेरेपी सेवाएं और 13 केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

जरा-चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र (एनसीए) भी विकसित किए गए हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में 200 बिस्तरों वाला एनसीए विकसित किया गया है तथा एम्स, नई दिल्ली में एक और एनसीए निर्माण के अंतिम चरण में है। ओपीडी सेवाएं अक्टूबर 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। 250 बिस्तरों वाला जरा-चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास केंद्र पीजीआई चंडीगढ़ में स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2020-21 के कार्यकमों/कार्यकलापों के संचालन की प्रगति

(प्रगति रिपोर्ट - अप्रैल से दिसंबर, 2020 के अनुसार)

क्र.सं.	संस्थान	मंजूर	संचालनरत			
			ओपीडी	इंडोर वार्ड	फिजियोथेरेपी सेवाएं	प्रयोगशाला सेवाएं
1	आरजीसी	19	18	16	14	13
2	जिला अस्पताल	718	584	507	445	539
3	सीएचसी	4869	3111	-	1131	2408
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	18407	10180	-	-	-
5	घर पर आधारित देखभाल और सहायता उपकरण प्रदान करने वाले एससी	90719	14201			

18 आरजीसी में विशेष ओपीडी के साथ-साथ 584 डीएच, 3111 सीएचसी और 10180 पीएचसी में दैनिक जराचिकित्सा ओपीडी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 16 आरजीसी के साथ 507 डीएच में अंतरंग रोगी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 14 आरजीसी के साथ 445 डीएच, 1131 सीएचसी में फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 13 आरजीसी के साथ 539 डीएच, 2408 सीएचसी में प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2019-20 में जरा-चिकित्सा देखभाल सेवा का प्रावधान
(वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार- अप्रैल 2019- मार्च 2020)

क्र.सं.	सेवाएं	आरजीसी	जिला अस्पताल	सीएचसी	पीएचसी	एससी	कुल
1	ओपीडी देखभाल सेवाएं	133545	7567744	7016670	9032922	2843211	**2,65,94,092**
2	इंडोर दाखिला	9992	688966	269286			**9,68,244**
3	फिजियोथेरेपी देखभाल	34637	754186	744964			**15,33,787**
4	लैब टेस्ट	230749	4215883	2348922	2275600		**90,71,154**
5	जांच किए गए बुजुर्गों की संख्या		599908	719021	526754	273850	**21,19,533**

https://www.staffnews.in

	और दिया गया हेल्थ कार्ड						
6	गृह सेवा देखभाल सेवा प्रदत्त बुजुर्गों की संख्या		11157	92657	68674	68783	**2,41,271**
7	सहायक उपकरण प्राप्त बुजुर्गों की संख्या		4820	18006	7256	17502	**47,584**
8	निर्दिष्ट मामलें		32017	59202	65057	64119	**2,20,395**
9	अस्पताल में मृत्यु प्राप्त बुजुर्गों की संख्या		17026	2156	384		**19,566**

सभी परिचालनरत जिला अस्पतालों और निचले स्तर के अस्पतालों द्वाराकुल मिलाकर क्रमश: 265 लाख बुजुर्गों को ओपीडी, 9.68 लाख बुजुर्गों को इंडोर दाखिला, 15.33 लाख बुजुर्गों को पुनर्वास सेवाएं और 90.71 लाख बुजुर्गों को लैब सेवाएं प्रदान की गई।

V. **प्रशिक्षण मॉड्यूल:** विस्तृत जराचिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और समुदाय आधारित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के तीन सेट तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़, मेघालय, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लगभग 236 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और 85 राष्ट्रीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए व्यापक जरा-चिकित्सा सेवा संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया : मेडिकल अधिकारी मॉड्यूल के लिए 27, स्टाफ नर्स मॉड्यूल के लिए 26 और समुदाय आधारित कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु 32 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं।

VI. **एनपीएचसीई वेबसाइट**:- एनपीएचसीई कार्यक्रम की एक इंटरेक्टिव तथा डायनॉमिक वेबसाइट सह-एमआईएस की शुरूआत सेंटर फॉर हेल्थ इंफारमेटिक्स (सीएचआई) के माध्यम से की गई है ताकि देश भर में उपलब्ध जरा-चिकित्सा संबंधी सुविधाओं तथा सेवाओं के आंकड़ों के साथ-साथ, समग्र सूचना उपलब्ध कराई जा सके। www.nphce.nhp.gov.in

VII. **आईईसी:** वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए विभिन्न विषयों पर ऑडियो/विडियो स्पोट, सामग्री से संबंधित प्रिंट फोल्डर, पोस्टर आदि तैयार किए गए हैं। आईईसी सामग्री को क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जा रहा है। https://nphce.nhp.gov.in/video-spot/

3. वित्त मंत्रालय

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार की एक स्कीम है जिसे दिनांक 9 मई, 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के गरीब लाभवंचित व्यक्तियोंऔर श्रमिकों के लिए एक सर्वव्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह स्कीम 01 जून, 2015 से प्रचालित है और इसे पेंशन निधि विनियामक ओर विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह 18-40 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला है जिनका बैंक या डाकघर में बैंक खाता है। स्कीम के तहत पांच पेंशन योजना स्लैब उपलब्ध हैं, भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष कीआयु के ग्राहक को 1000 रूपए, 2000 रूपए, 3000 रूपए, 4000 रूपए, और 5000 रूपए की गारंटी दी जाती है। अभिदाता की मृत्यु

https://www.staffnews.in

पर, पति/पत्नी को समान पेंशन की गारंटी दी जाती है। इसके अलावा, एपीवाईएक अखिल भारतीय योजना है जो देश के सभी नागरिकों के लिए खुली है और किसी विशिष्ट समूह के लिए नहीं है।

4. **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** :

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी विकास विभाग ने माडल भवन उप-नियम, 2016 (एमबीबीएल) जारी किए हैं जिसके अंतर्गत भवनों, शौचालयों आदि के संदर्भ में **बुजुर्गों के अनुकूल अवरोध मुक्त वातावरण** सृजित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय, मॉडल भवन उप-नियम 2016 का अनुसरण करके इस नीति को कार्यान्वित करेंगे। वर्ष 2013 में जारी किए गए शहरी बस विनिर्देश-II के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित बसों के संबंध में **लो-फ्लोर बसों** की खरीद करने, जिनमें यात्रियों के लिए आसानी से प्रवेश करने हेतु उपयुक्त रैम्प की सुविधा और दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बस में व्हील-चेयर रखने की व्यवस्था हो, पर जोर दिया गया है। देश में कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं में दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे कि स्टेशनों के लिए **उपयुक्त रैम्प/लिफ्टें**। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए **मेट्रो रेल के डिब्बों में सीटों के आरक्षण** का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवास की मांग पूरी करने के लिए परिचालित किए गए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल किया गया है कि 'आवंटन करते समय, वरिष्ठ नागरिकों के परिवारों को **भू-तल अथवा निचले तलों पर आवंटन को प्राथमिकता** दी जाए'।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहर में रहने वाले गरीब परिवारों की सतत् आधार पर गरीबी और असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयु के अनुसार शहरी बेघर लोगों के लिए आवास घटक के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से शहरी बेघर लोगों को अनिवार्य सेवाओं से सुसज्जित स्थायी आवास प्रदान करना है।

*****

https://www.staffnews.in